भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **3389**

दिनांक 10 अगस्त , 2015 / 19 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एएआई में आरक्षित पदों हेतु पदोन्नति

3389. डॉ. उदित राज:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में प्रबंधक से लेकर वरिष्ठ प्रबंधक की श्रेणी में पदोन्नति हेतु आरक्षित पद हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या एएआई ने इन आरक्षित पदों को पदोन्नति से हटा दिया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ महेश शर्मा)

(क) और (ख): जी नहीं। प्रबंधक से लेकर वरिष्ठ प्रबंधक (जो श्रेणी 'क' के अंतर्गत आते हैं) की पदोन्नति में भारत सरकार के अनुदेशों के अनुरूप आरक्षण लागु नहीं हैं, जिनके अनुसार चयन द्वारा पदोन्नति में श्रेणी 'क' के सबसे निचले सोपान यानि प्रबंधक (ई-3) की पदोन्नति में आरक्षण लागू होते हैं।

(ग) और (घ): प्रश्न नहीं उठता।

****

****